भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या. *479

दिनांक 25.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल में लौह और आर्सेनिक की मात्रा

***479. डॉ॰ मोहम्मद जावेदः**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किशनगंज जिले में कुँओं/हैंडपम्पों के माध्यम से लोगों को उपलब्ध पेयजल में विद्यमान लौह और आर्सेनिक की अधिक मात्रा के कारण असुरक्षित तथा अस्वास्थ्यकर माना गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की किशनगंज जिले में और इसके आसपास तथा ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे बिहार के सभी दूसरे जिलों में लौह/आर्सेनिक रहित पेयजल प्रदान करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 25.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *479 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जिले में कोई भी ग्रामीण बसावट आर्सेनिक से प्रभावित नहीं है। किशनगंज जिले में 324 लौह प्रभावित ग्रामीण बसावटों का ब्लॉक-वार विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	लौह प्रभावित बसावटों की संख्या
1	बहादुरगंज	56
2	दिघलबंक	51
3	किशनगंज	34
4	कोचाधामिन	52
5	पोथिया	102
6	टेढ़ागाछ	11
7	ठाकुरगंज	18
	कुल	**324**

(ख) और (ग) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, ग्रामीण आबादी तक सुरक्षित पेयजल पहुँचाने के कवरेज में सुधार लाने के लिए, केंद्र प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए राज्यों को तकनीकी एवं वितीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करता है। ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें ही स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन और प्रचालन व रख-रखाव करती हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को प्रदत्त निधियों का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर आर्सेनिक/लौह प्रभावित क्षेत्रों सहित जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में स्कीमों को चलाने के लिए किया जा सकता है। वर्ष 2018-19 के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत बिहार सरकार को 234.84 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

मार्च, 2016 के दौरान, नीति आयोग की सिफारिश से, विभिन्न आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। बिहार को 22.83 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी।

इसके अलावा, मंत्रालय ने देश में 27,544 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बसावटों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत 22 मार्च, 2017 को राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) की शुरूआत की थी। अब तक बिहार को 171.96 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। एनडब्ल्यूक्यूएसएम के अंतर्गत राज्य की 1077 आर्सेनिक प्रभावित और 1043 फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बसावटों को लक्ष्यबद्ध किया गया है।

***